समाहरणालय, मधेपुरा
(जिला जिला गोपनीय शाखा)
संयुक्त आदेश

जिला संयुक्त आदेश ज्ञापांक 2520 /गो0, दिनांक 18-10-2016 द्वारा फेसबुक, वाट्सएप इत्यादि के ग्रुप सोशल में मधेपुरा जिला के नियंत्रण कोषांग का मोबाईल नम्बर 9955948775 जोड़ने का प्रावधान किया गया था। साथ ही फेसबुक, वाट्सएप ग्रुप के सोशल ग्रुप पर भी मधेपुरा मॉनिटर को जोड़ने का प्रावधान किया गया है। इस संबंध में दूरभाष पर विभिन्न स्तरों से सूचना प्राप्त हुई।

अतएव यह स्पष्ट किया जा रहा है कि इस परिधि में मात्र वैसे ग्रुप आते हैं, जो सोशल ग्रुप के अधीन परिभाषित किए जायेंगे। पारिवारिक ग्रुप या प्रेस ग्रुप इस परिधि के अधीन नहीं माने जायेंगे। इस प्रकार का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद-19 (2) एवं अनुच्छेद-19 (3) के अधीन भारत की एकता एवं अखण्डता, राज्य की सुरक्षा एवं पब्लिक ऑर्डर को बनाये रखने के निमित्त निर्गत किया गया है।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाए।

19.10.16.
पुलिस अधीक्षक
मधेपुरा।

19/10/16
जिलाधिकारी
मधेपुरा।

ज्ञापांक 2532 /गो0, मधेपुरा, दिनांक 19/10/16

प्रतिलिपि : जिला नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्त सभी संबंधित पदाधिकारी /कर्मी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई0टी0 मैनेजर, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा /उप विकास आयुक्त, मधेपुरा /अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज /सभी संबंधित पदाधिकारी, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ प्रेषित।

19.10.16
पुलिस अधीक्षक
मधेपुरा।

19/10/16
जिलाधिकारी
मधेपुरा।